

10.03.25

आज यह पत्रावली पेश हुई वकील
शर्मा उषा जी के द्वारा शा.उ.का लम्बी छठी
कंपाउट. पुनः 212 का शा.उ. लम्बी
कंपाउट. उषा पत्रावली दिनांक 06.5.25
को पेश की

↓

06 ⁰⁵/₂₅

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उषा जी के द्वारा
शा.उ. प्रकरण से संबंधित फावा का निस्तारण हो
चुका है अतः शा.उ. पत्र 212 RTI का प्रयोग जिनका
कोई औचित्य नहीं है

राजीवगान्धी
के कार्य दफा
के अन्तर्गत पत्र
माह 25

अतः शा.उ. पत्र 212 RTI खारिज किया जाता है।

तथा दिनांक 19.11.24 को जारी श्वगन निरकर किया
जाता है। पत्रावली फैसल नुमाय होकर नंबर से कम है।
संलग्न मूल वाद है।

6-5-25

↓
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)